

भारत में ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का महिला उत्थान में योगदान

भाग सिंह तंवर

सहायक आचार्य भूगोल
राजीव गाँधी महाविद्यालय, नादौती, करौली

सार: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है, जो केंद्र सरकार के सबसे प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार की गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले ग्रामीण परिवारों को रोजगार सुनिश्चित किया जाता है, विशेष रूप से विकास के लिए इसे प्राथमिकता दी गई है। इस अधिनियम के तहत, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों का रोजगार देने की गारंटी दी गई है। यह रोजगार अस्थायी नौकरी या कार्यों के रूप में प्रदान किया जा सकता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के परिवारों को मनरेगा के तहत 150 दिनों का रोजगार देने का निर्देश जारी किया है। इस पहल का उद्देश्य झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में लगभग आठ लाख लोगों को लाभ पहुंचाना है।

हात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत पहले से ही निर्धारित 125 दिनों के रोजगार के अतिरिक्त, इन व्यक्तियों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत 50 दिनों का अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत, इन राज्यों में लगभग आठ लाख विशेष व्यक्तियों को अधिकार पत्र जारी किए गए हैं।

वन क्षेत्रों में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति के परिवारों को अतिरिक्त रोजगार का प्रावधान उनकी आजीविका में सुधार और आर्थिक स्थिरता लाने का प्रयास है। इससे वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने और गरीबी उन्मूलन में सहायता मिलेगी। विशेष रूप से, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोगों को इससे बड़ा लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम के तहत, मनरेगा और वन अधिकार अधिनियम के संयोजन से, ग्रामीण विकास मंत्रालय वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की स्थिति में सुधार लाने के साथ-साथ महिलाओं की स्थिति को भी सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। यह पहल न केवल आर्थिक उन्नति की ओर ले जाएगी बल्कि सामाजिक संरचना में भी सकारात्मक परिवर्तन लाएगी।

शब्दकोश: मूल्यांकन, सामाजिक बुनियाद, बेरोजगारी | मनरेगा, पुनर्निर्माण, गरीबी उन्मूलन, अधिनियम, आश्वासन,

प्रस्तावना:—

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम विश्व भर के कानूनों में एक अग्रणी कानून है। इस पर, रोजगार की गारंटी किसी भी अन्य पुष्टि कानून पर निर्भर नहीं है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य उचित संसाधन प्रबंधन, गरीबी उन्मूलन, और सही विकास में योगदान देना है।

इस अधिनियम को 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। पहले चरण में, 12 महीनों के भीतर, 2006-07 के दौरान देश के 27 राज्यों के 200 जिलों में इस योजना को शुरू किया गया था। चुने गए 200 जिलों में से 150 जिले वे थे जहाँ पहले से ही 'रोजगार के लिए काम' कार्यक्रम चल रहा था। 'रोजगार के लिए काम' योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को अब इस नई योजना में सम्मिलित कर दिया गया है। अप्रैल 2008 से, इस योजना को पूरे देश में लागू किया गया है।

यह बताया जाता है कि 'मनरेगा' का नाम 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में रखा गया था। इस प्रकार, 12 महीनों के भीतर, 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' को औपचारिक रूप से 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)' नाम दिया गया।

भारत के पुनर्निर्माण में मनरेगा की स्थिति:-

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ने भारतीय ग्रामीण क्षेत्र की संरचना को मजबूत बनाने और सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह कार्यक्रम ग्रामीण उत्थान और गरीबी उन्मूलन के विषय में नए आयाम स्थापित करने में सहायक सिद्ध हुआ है। इस क्रांतिकारी कार्यक्रम ने दशकों से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसानों के लिए नई उम्मीद और स्थिरता की किरण पेश की है, जिससे गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले देश के गरीब नागरिकों को ऊपर उठाने में मदद मिल सकती है।

इस कार्यक्रम ने दशकों से गरीबी, बेरोजगारी, विस्थापन और जटिल आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहे किसानों को रोजगार के नए अवसर प्रदान किए हैं। वास्तव में, मनरेगा ने एक मजबूत ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने और ग्रामीण क्षेत्रों के पुनर्निर्माण में एक आवश्यक भूमिका का प्रदर्शन किया है।

मनरेगा ने रोजगार प्रदान कर गरीबी उन्मूलन में योगदान दिया है। यह कार्यक्रम केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास भी हुआ है, जैसे सड़कें, पानी की व्यवस्था, और अन्य आवश्यक सुविधाएं। इससे ग्रामीण समुदायों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में भी सकारात्मक बदलाव आया है।

मनरेगा की सफलता का एक प्रमुख कारण यह है कि इसने गांवों में महिलाओं को भी रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। महिलाओं की भागीदारी ने न केवल उनके आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया है, बल्कि उन्हें समाज में सम्मान और सशक्तिकरण भी प्रदान किया है। इससे ग्रामीण समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है और उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है।

कुल मिलाकर, मनरेगा ने भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाया है, जो देश के गरीब नागरिकों को गरीबी से ऊपर उठाने और उन्हें एक सम्मानजनक जीवन प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और भविष्य में भी इसकी प्रभावशीलता और प्रासंगिकता बनी रहेगी। ग्रामीण पुनर्निर्माण के संदर्भ में, इसके महत्व का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाएगा –

- मनरेगा कार्यक्रम के बारे में अच्छी बात, जो अनुसूचित जातियों, जनजातियों और लड़कियों के कल्याण में उपयोगी है, सभी गरीबों तक पहुंच गई है, हालांकि कल्याणकारी समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों/जनजातियों और लड़कियों, और उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाने का, इसका विशेष उद्देश्य है। इस पर, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के परिवारों को 150 दिनों के लिए रोजगार देने और 33 पीसी लड़कियों को सीखने का प्रावधान है।
- ग्रामीण क्षेत्रों का विकास मनरेगा कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों की घटना के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह रोजगार के विकल्प, गरीबी में कमी, सूखे के लिए सहायता, रेगिस्तान के विकास पैकेज और बहुत सारे दृष्टिकोणों की पेशकश करने और ग्रामीणों को विकास कंपनियों को देने में महत्वपूर्ण है। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित है।
- गरीब ग्रामीणों को रोजगार के विकल्प देने के लिए – मनरेगा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के युवाओं को स्वरोजगार के विकल्प देता है। इससे गांवों के भीतर रोजगार के विकल्प बढ़ेंगे और इसी तरह अप्रशिक्षित युवाओं को रोजगार मिलेगा।
- गरीबी कम करने में सहायता – मनरेगा का लक्ष्य उस रेखा के ऊपर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को पहुंचाना है, ताकि उनकी सामाजिक, वित्तीय स्थिति को बढ़ावा मिल सके। इस तथ्य के कारण, मनरेगा गरीबी को कम करने के लिए आवश्यक हो सकता है। इस 12 महीनों पर 100 दिनों का रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है।
- वित्तीय क्षेत्र के भीतर अनुदान और सहायता यह कार्यक्रम गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के उद्देश्य के लिए समर्पित है। काम के लिए, संघीय सरकार ने हर गरीब के घर में 100 दिनों विकल्प देकर उन्हें नया जीवन प्रदान करेगी। इस प्रकार, इस कार्यक्रम की स्थिति ग्रामीण पुनर्निर्माण में आवश्यक दिखाई देगी।
- क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में मदद करता है यह प्रणाली क्षेत्रीय असंतुलन, विशेषकर वित्तीय असमानता को कम करने में भी उपयोगी हो सकती है। क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम इस पथ पर एक आवश्यक स्थिति में भाग ले रहा है।
- सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, मनरेगा विकास कार्यक्रम का लक्ष्य गरीबी दूर करना और रोजगार आश्वासन देना है। इस तथ्य के कारण, यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से आवश्यक है और इसका लाभ केवल कम वर्ग को दिया जाता है।
- राष्ट्रीय विकास का आधार मनरेगा कार्यक्रम राष्ट्र की सबसे खराब मानव शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन के पुनर्निर्माण में देशव्यापी समृद्धि और वृद्धि के लिए एक मजबूत आधार प्रस्तुत करेगा। यह कार्यक्रम गरीब अभिशाप को

समाप्त करके गरीब निवासियों की आजीविका के भीतर गुणात्मक स्फूर्ति प्रदान करेगा और बिना किसी आशा के आपके संपूर्ण राष्ट्र की समृद्धि को बढ़ाने की क्षमता रख सकता है।

• यह कार्यक्रम विनिर्माण को बढ़ाने में मदद करता है और देशी संपत्तियों और मानव परिसंपत्तियों के सही दोहन द्वारा सभी क्षेत्रों में श्रम विकल्पों को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। बढ़ते श्रम विकल्प कृषि आर्थिक प्रणाली का पुनर्निर्माण करेंगे। इसकी वजह से प्रति व्यक्ति राजस्व और राष्ट्रव्यापी राजस्व में वृद्धि होगी।

• ग्रामीण निवासियों की भागीदारी की गारंटी देना मनरेगा कार्यक्रम में कृषि लॉट को विशेष रूप से रोजगार के विकल्प प्रदान करके नई ग्रामीण आर्थिक प्रणाली बनाने की क्षमता होगी। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों की ढहती हुई आर्थिक व्यवस्था के पुनर्निर्माण में भी मूस का पत्थर हो सकता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत के गाँवों की अराजक आर्थिक व्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए मनरेगा कार्यक्रम की स्थिति आवश्यक होगी। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों के वित्तीय विकास की सीमाओं को हटाकर उन्हें सामाजिक और वित्तीय समानता प्रदान करता है। एक हंसमुख और जीवंत भविष्य के लिए म्यूज को बिछाएंगे। इस कार्यक्रम के लागू होने से गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, बुराइयाँ और रूढ़िवादिता ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाएंगे।

भारत एक कृषि प्रधान देश है, अर्थात् हमारे देश की 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि के आधारभूत कार्यों से अपना जीवनयापन करती है, परंतु कृषि कार्यों को आधुनिक भारत में पेशे का स्वरूप न देकर इसे मौसमी कार्यों का स्वरूप दिया गया है, अर्थात् एक ग्रामीण अपनी कृषि के कार्यों के पश्चात् बेरोजगारी का सामना करता है और यहीं से वह गरीबी की ओर अग्रसर होता जाता है। ग्रामीण किसान रोजी-मजदूरी करके हम सभी के लिए अन्न उगाते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ को योजना आयोग द्वारा भारत का सबसे गरीब राज्य घोषित किया गया।

“ग्रामीण गरीबी रेखा का तात्पर्य आय के उस स्तर से लिया जाता है जिसमें आय कम होने पर ग्रामीण अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता”।

गरीबी अथवा निर्धनता का अर्थ उस स्थिति से जिसमें समाज का एक भाग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में असमर्थ रहता है।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

भारत में व्याप्त गरीबी को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा समय-समय पर जो योजना या कार्यक्रम बनाये जाते हैं उन कार्यक्रमों को गरीबी उन्मूलन या गरीबी निवारण कार्यक्रम का नाम दिया गया है।

सरकार ने गरीबी हटाने के लिये वर्तमान में निम्नलिखित योजनाएं लागू की हैं –

- राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना
- टीआरवाईएसईएम योजना
- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
- राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
- संपत्ति के केंद्रीकरण को रोकने के लिए कानून का संशोधन करना
- जवाहर रोजगार योजना
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना
- राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना
- ग्रामीण श्रम रोजगार गारंटी योजना
- अन्नपूर्णा योजना
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना
- नेहरू रोजगार योजना
- प्रधानमंत्री रोजगार योजना
- सूखा क्षेत्र विकास योजना
- बीस अंकीय योजना
- प्रधानमंत्री की एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन योजना
- शहरी गरीबों के लिए स्वयं रोजगार योजना
- कार्य योजना के लिए भोजन
- बंधुआ मुक्ति मोर्चा
- लघु किसान विकास योजना

- अंत्योदय योजना
- ग्रामीण आवास योजना
- न्यूनतम आवश्यकता योजना

ग्रामीण गरीबी एवं मनरेगा:-

फरवरी 2006 से लागू इस अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को कम से कम 100 दिन का शारीरिक श्रम युक्त रोजगार पाने का अधिकार है। यह उल्लेखनीय है कि गांधी जयंती (2 अक्टूबर, 2009) के अवसर पर केन्द्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि इस अधिनियम को महात्मा गांधी के नाम से जोड़ा जाए। अब नरेगा 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' के नाम से जाना जा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' ने लगा। अकुशल शारीरिक श्रम से कोई कार्य अभिप्रेत है जिसे कोई वयस्क पुरुष या महिला किसी कौशल या प्रशिक्षण के बिना भी करने में समर्थ हो। मनरेगा कुछ ऐसे बिंदुओं पर बल देता है जो काम के अधिकार को व्यापक स्तर पर चरितार्थ करता है।

ग्रामीण गरीबी तथा बेरोजगारी से उत्पन्न दयनीय स्थिति को देखते हुए उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सन् 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उदय हुआ, जिसे आज हम मनरेगा के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005" हैं। इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 देश का पहला अधिनियम है जो ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को गाँव में ही रोजगार उपलब्ध कराता है।

भारत एक प्राचीन तथा विशाल देश है, पिछले लगभग 70 वर्षों के पश्चात् यहाँ जनसंख्या की स्थिति विस्फोटक हो चुकी है। बढ़ती जनसंख्या का सर्वाधिक नकारात्मक पहलु बढ़ती गरीबी है। सरकार की वृहद योजना मनरेगा जो पूरे भारत में कार्यरत है, जिसके द्वारा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी, गरीबी, पलायन तथा असमानता जैसी मूलभूत समस्याओं का निकारण किया जा रहा है। इस योजना के तहत भारत के 6 लाख से अधिक गाँवों में न केवल वयस्क पुरुषों का अपितु महिलाओं तथा विकलांगों को भी रोजगार के अवसर निरंतर उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिससे गाँव से शहर की ओर हो रहे पलायन पर अंकुश दिखाई देता है।

मनरेगा योजना अकुशल वयस्क श्रम को अकर्मण्य होने से बचाती है तथा योजना के तहत प्राप्त होने वाली राशि, प्रति व्यक्ति एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि का कारण बन रही है जिससे ग्रामीणों के जीवन स्तर पर सुधार देखा जा सकता है। यह कानून रोजगार अधिकार को साकार करने के दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस कानून के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।

इस योजना के तहत मुख्य रूप से सुखा, जंगलों का विनाश और भूमि कटाव जैसी जन समस्याओं को संबोधित किया गया है, जिनके कारण बड़े पैमाने में गरीबी फैल रही है चुकि यह योजना सम्पूर्ण भारत में कार्यरत है, परिणाम स्वरूप कुछ समस्या का आना स्वभाविक है परंतु भारत सरकार इसकी कमियों, समस्याओं को ध्यान में रखकर बढ़ती हुई कार्यों की माँग, रुचियाँ तथा ग्रामीणों में कार्यों की कमी के कारण भारत सरकार ने मनरेगा-2 अर्थात् मनरेगा के कार्यों में अधिक से अधिक नवीन कार्यों का समावेश किया है तथा राज्य सरकार ने अपने राज्य में इस योजना के कार्य दिवस को बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है, जिसकी सहायता से ग्रामीणों को कार्य ज्यादा दिनों के लिए उपलब्ध हो रहे हैं।

मनरेगा के अंतर्गत उपलब्ध होने वाले रोजगार, गरीबी के भौगोलिक नक्शे को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। 6 लाख से अधिक गाँवों वाले भारत देश के लिए बनाई गई यह योजना ग्रामीण रोजगार एवं ग्रामीण विकास के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। यह योजना सैद्धांतिक स्वरूप से अच्छे एवं प्रभावी उद्देश्यों को अपने में समाहित की हुई है। इसके माध्यम से ग्रामीणों में गरीबी का प्रतिशत कम होता जा रहा है। इस प्रकार मनरेगा योजना में कई ऐसे पहलू हैं जिनके आधार पर इसे "जनता का कानून" कहा जाता है जो "जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता का कानून है।" यह रोजगार अधिकार को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

निष्कर्ष-

लेख में सरकार की इस बहुयामी योजना मनरेगा से ग्रामीणों को जोड़ने के लिए तथा उनकी समस्याओं का सामाधान करने के लिए एक प्रबल प्रयास किया गया है। ग्रामीणों में गरीबी उन्मूलन करने हेतु, उनकी बेरोजगारी दूर करने तथा समाज में उन्हें एक स्थान प्रदान करने के लिए शोधार्थी द्वारा यह शोध कार्य किया जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण मनरेगा के महत्व को समझें और इस महत्वपूर्ण योजना में कार्यरत होकर अपनी गरीबी, बेरोजगारी तथा पलायन जैसी समस्याओं का निराकरण करें। रोजगार उन्मुखी तथा गरीबी उन्मूलन हेतु बनाई गई मनरेगा योजना अपने द्वारा उपलब्ध कराये गए कार्यों तथा उन कार्यों के सफल परिणामों के आधार पर यह योजना आगामी वर्षों में ग्रामीण रोजगार के प्रतिशत में वृद्धि करते हुए ग्रामीण गरीबी उन्मूलन से भी हमारे देश के विकास के मार्ग में पथ प्रदर्शक का कार्य करेगी जिस पर चलकर देश विकास की ओर अग्रसर होगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:-

- चन्द्रपाल (2005), 'महिला शिक्षा के अनसुलझे पहलू', कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वर्ष-5, अंक-4।
- छापड़िया, डॉ. मनोज (2008), 'स्त्री शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता', सीरियल्स पब्लिकेशन जनगणना रिपोर्ट 2011।
- आनन्द, ममता (2010), 'घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005', ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
- उज्ज्वल राजस्थान, वृहत् भूगोल एवं आर्थिकी, सिखववाल पब्लिकेशन, जयपुर।
- कुमार, मनीष; 'महिला सशक्तिकरण, दशा और दिशा', मधुर बुक्स, दिल्ली 2006।
- छेद खुदाई – भारतीय ग्रामीण कल्याण, तिवारी प्रकाशन, दिल्ली, 2001।
- चौबे, झारखण्डे (2010), 'इतिहास-दर्शन', विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी (उ0प्र0),।
- चन्द्रपाल (2005), 'महिला शिक्षा के अनसुलझे पहलू', कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वर्ष-5, अंक-4।
- आनंद प्रकाश मिश्र – ग्रामीण निर्धनता, साहित्य भवन, आगरा, 1998।
- अनन्या चंद्र – गरीबी उन्मुलन कार्यक्रमों के कुछ मुद्दें, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल, 2001।
- आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।